केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/206 — दिनांक: 04.07.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00199
CICOM/R/2017/00490

अपीलकर्ता : श्री विजय तरू पवार,
बंग्ला नं.52, रेंजहिल्स स्टेट,
रेंजहिल खडकी, पुणे – 411020.

निर्णय की तारीख : 04.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.06.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	142938/22.06.2017

1. अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 17.04.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 07.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री) द्वारा दिनांक 22.10.2017 एवं दिनांक 04.04.2017 के पत्रों में बताई गई कमियों को दूर करते हुए श्री तलवार को पत्र लिखें । प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न अन्य पत्र (सं. स्थापना/260/आर.टी.आई./VTP/16083/2016 दिनांक 10.09.2016 एवं स्थापना/260/आर.टी.आई.सेल/16083/2016 दिनांक 09.08.2016) क्रमश: गोला बारूद फैक्टरी खडकी, पुणे के प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति है, जिसपर केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी या केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

के. सू. आ.
RECEIVED
04 JUL 2017
D. No.........
Initials.........